सकता है ; वे लाजमी हैं, वे बढ़ने वाले हैं और बढ़ेंगे । सिविल डिफेंस की कोई भी व्यवस्था उनको रोक नहीं सकती है । इस समय देश में जो सिस्टम है, यह सरकार जिन नीतियों पर चल रही है, उनको देखते हुए यह निश्चितप्राय है कि इस प्रकार के कानूनों को राजनैतिक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया जायेगा ।

आज वियतनाम एक बहुत बड़ी ताकत के विरुद्ध लड़ रहा है, लेकिन फिर भी उसका प्राडक्शन जारी है, उसके कारखानों और खेतों में काम बन्द नहीं हुआ है । यह समाजवादी व्यवस्था का जादू और करिश्मा है । वहां पर सिविल डिफेंस के लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन फिर भी वहां के लोगों ने अपनी रक्षा करके दुनिया को दिखा दिया है कि वे कितने बहादुर हैं ।

सिविल डिफेंस के कार्य को सफल बनाने के लिए इन सुझावों को कबूल करना आवश्यक है । सिविल डिफेंस के संगठन को स्थायी बनाया जाये । देहातों और शहरों में अठारह वर्ष के ऊपर के नवयुवकों को आर्म्स का प्रशिक्षण दिया जाये । देश में एकता की भावना पैदा की जाये । आज देश में साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं, हरिजनों की हत्या हो रही है, आम जनता गरीबी में पिस रही है और मजदूरों के लिए जीवन-निर्वाह करना कठिन हो रहा है । उपर्युक्त उपाय करके इस वातावरण में सुधार करना चाहिए । अगर देश में आम जनता में एकता और समृद्धि होगी, तभी सिविल डिफेंस वास्तविक अर्थों में सफल हो सकेगा । समुद्र-तट के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशेष ढंग की ट्रेनिंग दी जाये, ताकि सैबोटेज के जो आधुनिक तरीके हैं, उनको रोका जा सके ।

———

18.00 hrs.

MOTION *RE* MINISTERS' RESIDENCES (AMENDMENT) RULES

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं मंत्रियों के मकान सम्बन्धी नियमों में जो परिवर्तन किया गया है, उन परिवर्तनों को लेकर बहस उठाना चाहता हूं । असल में यह विषय एक व्यापक विषय है और इसमें मन्त्रियों को इस वक्त जो तनख्वाह, भत्ते या जो सुविधायें दी जाती हैं, उन सब की चर्चा आ जाती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इधर एक अर्से से हम लोग समाजवाद की बात करते हैं समाजवादी समाज की रचना का उद्देश्य...

श्री शिव नारायण (बस्ती) : 20 साल से ।

श्री मधु लिमये : 21 साल कहिये । समाजवादी समाज की रचना का उद्देश्य इस सरकार ने रखा और इस संसद ने कुबूल किया । कुछ दिन पहले, उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर लोक सभा के सदस्यों या राज्य सभा के जो सदस्य हैं, उन को जो तनख्वाह दी जाती है या भत्ते दिये जाते हैं, उनके बारे में यहां पर एक विधेयक आया था और बहस हुई थी । उस वक्त कई सदस्यों ने मुझ से कहा - जब आप मैम्बरों को सुविधायें देने के बारे में या अधिक तनख्वाह देने के बारे में अपना विरोध प्रकट करते हैं तो मन्त्रियों का मामला क्यों नहीं उठाते । कुछ लोगों ने भी कहा कि अधिकारियों और नौकरशाहों का मामला भी उठाना चाहिये...

श्री शिव नारायण : किन लोगों ने कहा, उनके नाम भी लेते जाइये ।

श्री मधु लिमये : उन में शिव नारायण जी भी हैं, जो कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय होता है...

श्री शिव नारायण : आप गलत कह रहे हैं ।

श्री मधु लिमये : मैं इन सब बातों पर चर्चा करना चाहता हूं । चूंकि, उपाध्यक्ष महोदय, विषय सीमित है, इसलिये मोटे तौर पर ही मैं सिद्धान्तों की चर्चा करना चाहता हूं ।

[श्री मधु लिमये]

समाजवाद के दूसरे जो भी मतलब हों, लेकिन इसका निश्चित रूप से एक मतलब यह है और मेरा ख्याल है कि आधुनिक समाजवादी और पूंजीवाद समाज में भी, करीब करीब पश्चिमी यूरोप में, अमरीका में यह बात आई है कि न्यूनतम आमदनी और खर्चा तथा अधिकतम आमदनी और खर्चा—इस में कितना फर्क अधिक से अधिक होना चाहिये ? जो लोग विशुद्ध पूंजीवाद की बात करते हैं, उन देशों में भी, आज हिन्दुस्तान में जो तफरका है, जितनी-गर बराबरी है, इन पूंजीवादी देशों में भी नहीं है । जो लोग स्वीडन और नार्वे जायेंगे या पूर्वी यूरोप के जो कम्यूनिस्ट देश हैं, उनमें जायेंगे मैं स्वयं इन देशों की यात्रा कर चुका हूं और मैंने सब जगह यह जानने की कोशिश की कि अधिक से अधिक आमदनी और खर्चा क्या है—खर्चा इस लिये कि बहुत दफा तनख्वाह कम रहती है, लेकिन तनख्वाह के साथ भत्ते और सुविधायें जोड़ी जाती हैं इस लिये उनका भी आंकन करना जरूरी हो जाता है – यह जानने के लिये कि कुल आमदनी और खर्चा कितना है सब जगह जाकर मैंने देखा । विशेष कर पूर्वी यूरोप के कम्यूनिस्ट देशों में मैंने देखा कि 1:6 या 1:7 के बीच का तफरका, इतनी असमानता उन देशों में है । लेकिन हमारे देश में आप शिक्षा के क्षेत्र को ही ले लीजिये—राज्य शिक्षा मन्त्री यहां पर बैठे हुए हैं—वे इस बात को सोचें कि शिक्षा मन्त्री या शिक्षा मन्त्रालय के बड़े अधिकारी या विश्व विद्यालय के जो उपकुलपति होते हैं या शिक्षा के क्षेत्र के जो बड़े लोग हैं—इन लोगों की जो आमदनी और खर्चा है उसके मुकाबले में शिक्षा क्षेत्र के जो छोटे आदमी हैं, जैसे प्राथमिक शिक्षक – उसकी जो आमदनी और खर्चा है दोनों में जो फर्क है वह 1:50 और 1:60 के बीच में है ।

इसी तरह मंत्रियों के बारे में एक प्रश्न के जवाब में हम को यह कहा गया कि कार्बीना के जो मंत्री हैं, उनकी तनख्वाह, उनके भत्ते, उनके मकान का किराया, बिजली, पानी, और फर्नीचर आदि का खर्च और उनको जो सचिव के रूप में या नौकरों के रूप में जो सहायता मिलती है, कुल मिलाकर इन की आमदनी एक साल में 1 लाख 12 हजार रुपये है ।

श्रीमती जयाबेन शाह (अमरेली): आमदनी या खर्चा ?

श्री मधु लिमये : खर्चा आमदनी एक ही हैं । आमदनी क्या है ?

श्री जयाबेन शाह : जो जेब में जाता है ।

श्री मधु लिमये : जो इन्होंने दिया है, मैं वही बता रहा हूं । तनख्वाह, भत्ता, किराया, बिजली, पानी, फर्नीचर और सचिव आदि का खर्चा—इन सब को मिला कर इनको 1 लाख 12 हजार रुपया जाता है और राज्य मन्त्री को करीब करीब 75 हजार रुपये जाते हैं, उप मंत्री को करीब करीब 45 हजार रुपया जाता है ।

अब, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जानने की बात यह है कि दिल्ली में सब लोगों को नियन्त्रित किराये पर तो मकान मिलता नहीं है । हम लोगों को जो मकान दिया जाता है, वह हम को मुफ्त नहीं मिलता है, फिर भी 25 प्रतिशत की सबसिडी, कटौती सदस्यों को दी जाती है और मंत्रियों को तो मकान बिल्कुल मुफ्त में मिल जाता है । अगर आप बाजार में जायेंगे तो इन मकानों का किराया बहुत ज्यादा है । फिर भी यह जो इस तरह की प्रणाली चली है कि मुफ्त मकान वगैरह मिले, मैं समझता हूं कि इन सभी चीजों के बारे में अब हम को दोबारा सोचना चाहिये ।

आप इंगलैंड की बात लीजिये मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कितने मंत्रियों को मुफ्त मकान मिलते हैं, मुफ्त पानी और बिजली मिलती है और इस तरह का फर्नीचर आदि का भत्ता मिलता है या सुविधायें मिलती हैं ? जहां तक मुझे पता है दो या तीन मन्त्रियों को केवल मकान दिये जाते हैं । जैसे प्रधान मन्त्री को 10, डाउनिंग स्ट्रीट का मकान मिलता है और मेरा

ख्याल है चांसलर आफ एक्सचेकर को भी मिलता है । हो सकता है लार्ड चांसलर या किसी एक और मंत्री को मिलता हो, लेकिन बाकी मंत्रियों को मुफ्त मकान या बिजली, पानी, फर्नीचर आदि नहीं मिलता है । जब कि इंगलैंड के साधारण लोगों की जो आय या आमदनी है और हिन्दुस्तान के साधारण लोगों की जो आय या आमदनी है, उसमें बहुत फर्क है । फिर भी इस तरह का कानून इंगलैंड में है ।

जहां तक स्वीडन आदि का सवाल है, वहां पर लोग कहते हैं कि मन्त्री लोग भी साइकल पर बैठ कर जाते हैं, मुफ्त मकान बगैरह का तो सवाल ही नहीं है । इस तरह की सुविधायें क्या किसी समाजवादी देश में या समाजवादी अर्थ व्यवस्था में इने गिने व्यक्तियों को मिलनी चाहिये — अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं यह कहूँगा कि अगर आप कोई परिवर्तन इस देश में लाना चाहते हैं तो आप चौथी पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय जो मंत्री हैं, जो बड़े अधिकारी हैं या जो सार्वजनिक सरकारी क्षेत्र के उद्योग हैं, उन उद्योगों में काम करने वाले व्यवस्थापक या बड़े अधिकारी हैं—इन की आमदनी में—सारी सुविधाओं को आपको मिला देना चाहिये और उन्हीं क्षेत्रों के जो छोटे लोग हैं उनकी आमदनी और खर्चे के बीच में 1: 10 से अधिक अन्तर नहीं होना चाहिये इस बात को चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये आपको मान लेना चाहिये ।

आज जो प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष हैं —मेरा ख्याल है, पहला जो आपका पे कमीशन बैठा था, वह उसके सदस्य थे और उस समय इसके बारे में उन्होंने अपनी राय भी व्यक्त की थी । उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों के जमाने से सरकारी बड़े नौकरों या मंत्रियों की तनख्वाहों आदि के बारे में जो नियम बने हुए थे, जो दस्तूर बना हुआ था, इस गरीब आजाद देश के लिये वे बिलकुल लागू नहीं होने चाहिये । क्यों कि अंग्रेज अपने देश से यहां पर आते थे और साम्राज्यवादी के नाते, शासक के नाते रहते थे, उन्होंने अपने अनुरूप वे नियम आदि बनाये थे, उसी तरह की तनख्वाहें आदि निश्चित की थीं। लेकिन इस गरीब देश में जहां आज भी फी व्यक्ति आमदनी 1960 के दामों के अनुसार 3'3 रु० पिछले वर्ष थी वहां ये बातें नहीं चल सकतीं । ऐसी हालत में मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या इस तरह का कोई सुझाव ले कर सदन के सामने आयेंगे कि जिससे तफरका 1:10 से ज्यादा नहीं रहेगा । अगर यह यह सरकारी क्षेत्र में करेंगे तो निजी क्षेत्र को भी नहीं छोड़ सकते हैं । क्योंकि अक्सर यह दलील दी जाती है कि सरकारी क्षेत्र में अगर तनख्वाह और सुविधाओं को घटाया जायेगा तो अच्छे और काबिल लोग सरकारी नौकरी के लिये नहीं मिलेंगे, वे सब निजी क्षेत्र में चले जायेंगे । इसलिये मैं चाहता हूं कि जब नौकरशाही के लिये और मन्त्रीशाही के लिये और सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के लिये इस तरह के तनख्वाह सम्बन्धी नियम बनेंगे तो उसके साथ साथ निजी क्षेत्र की आमदनी और खर्च पर भी रोक लगाने की बात करनी चाहिये ।

दूसरे पे कमीशन के सम्बन्ध में डी० आर० गाडगिल साहब ने एक नोट दिया था जिसमें बताया था कि मैनेजिंग एजेन्सी के जरिये कई लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी, टैक्स वगैरह देने के बाद भी, ढ़ाई तीन लाख रुपये हो जाती थी । तो इस तरह का जो तफर्का है, गैर-बराबरियां हैं, उनकी ओर मैं मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूँ । संसत्सस्यों की सुविधाओं की चर्चा चल ही पड़ी है, एक कमेटी भी बन गई है । इसलिये क्या मन्त्री महोदय मेरी इस प्रार्थना पर गम्भीरता से विचार करेंगे, हिन्दुस्तान में समाजवाद लाने की दृष्टि से ? इस तरह से जो देश का पैसा बचेगा उसका इस्तेमाल पूंजीकरण के लिये, उद्योगीकरण के लिये, खेती के सुधार के लिये, शिक्षा के प्रसार के लिये, सिंचाई के लिये या और जो विकास के कार्य हैं उन के लिये, सरकारी क्षेत्र के लिये

[श्री मधु लिमये]

और निजी क्षेत्र के लिये भी करेंगे और इस सम्बन्ध में ठोस सुझाव देंगे ।

मेरे दल के भूतपूर्व नेता, डा० राम मनोहर लोहिया ने, मौत के पहले जो आखिरी प्रस्ताव रखा था वह यही रखा था कि आमदनी और खर्चे में खास तौर से खर्चे पर जोर दिया था क्योंकि आमदनी के बारे में बहुत सी गलत बातें हो सकती हैं, असलचीज खर्चा है 1500 रुपये मासिक की रोक लगे उनकी इस बात का वित्त मंत्री जी ने मखौल भी उड़ाया था ।

एक माननीय सदस्य : क्या मखौल उड़ाया या ?

श्री मधु लिमये : कि यह सम्भव नहीं है, व्यावहारिक नहीं है । कभी तो वह बड़े व्यावहारिक बन जाते हैं और कभी-कभी आदर्शों की बात करते हैं । लेकिन हमको चाहिये व्यवहार और आदर्श को मिलाना । दोनों को मिलाकर उसका समन्वय करके आगे बढ़ना चाहिए । मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सबकी एक किस्म की तनख्वाह हो । यह आदर्श तो हो सकता है लेकिन व्यवहार नहीं हो सकता है । इस लिए मैं सम्भव बराबरी की बात करता हूँ । दूसरे देशों में अगर 1-5 और 1-7 का फर्क है तो चूंकि इस देश में पहले से असमानता और गैर-बराबरी ज्यादा रही है इसलिए यहां पर 1-10 कर दिया जाये । सबसे पहले इसको सरकारी क्षेत्र से और खास तौर पर मंत्रियों से शुरू किया जाये क्यों कि समाज के नेताओं से ही आदर्शवादिता का प्रारम्भ होना चाहिये । उसके बाद फौरन निजी क्षेत्र के बारे में भी कीजिये । जिस तरह से यहां सुविधायें और भत्ते आदि हैं उसी तरह से आप निजी क्षेत्र में एक्सपेन्स एकाउंट आदि को देखेंगे तो उसके बारे में भी आपको गम्भीरता से विचारना पड़ेगा । निजी क्षेत्र में इन्टरटेनमेन्ट एलाउन्स, सस्पेन्स एकाउन्ट, इन सब चीजों पर भी रोक लगानी पड़ेगी । तो इन सब चीजों के बारे में मन्त्री जी सोचें, इतना ही मुझे कहना था । मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "यह सभा सिफारिश करती है कि मंत्रियों के निवास-स्थान (संशोधन) नियम, 1967 में, जो दिनांक 9 दिसम्बर, 1967 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1801 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा 13 फरवरी, 1968 को सभा-पटल पर रखे गये थे, निम्नलिखित संशोधन किया जाये, अर्थात : —नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये, अर्थात : —
>
> "2. मंत्रियों के निवास-स्थान नियम, 1962 में, नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये, अर्थात : —
>
> "8. इन नियमों में उपबंधित सुविधाओं के मामले में किन्हीं मंत्रियों के बीच, जो मंत्रि-मंडल के सदस्य हैं, भेदभाव नहीं किया जायेगा ।" ।" ।"

MR. DEPUTY-SPEAKER : How much time would the hon. Minister take ?

THE MINISTER OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI JAGANATH RAO) : I would take about 7 to 8 minutes.

MR. DEPUTY-SPEAKER : In that case, I would accommodate one or two Members and give two minutes to each.

श्री मधु लिमये : कुछ लोगों को दो-तीन मिनट तो दीजिये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Member had himself taken 15 minutes. So, how is it possible to accommodate many Members now ? I shall have to conclude this debate at 6.30 p.m.

Motion moved :

> "This House recommends that the following amendment be made in the Ministers' Residences (Amendment) Rules, 1967, published in the Gazette of India by Notification No. G. S. R. 1801, dated the 9th December, 1967 and

laid on the Table on the 13th February, 1968, namely :—

for rule 2, the following be substituted, namely :—

'2. In the Ministers' Residences Rules, 1962, for rule 8, the following be substituted, namely :—

"8. There shall be no discrimination in the matter of amenities provided in these Rules between any Ministers who are Members of the Cabinet."."

SHRI K. ANIRUDHAN (Chirayinkil) : This discussion has arisen because of the differences between the salaries and allowances and amenities of Ministers including the Cabinet Ministers. I am not very much worried about the salaries and allowances that they receive and the rules connected with that matter. Shri Madhu Limaye has explained the matter, that in our country our ordinary man's income is such that there is an ocean of difference and disparity between the people and the Ministers. Even after 20 years of independence, this disparity and differences are more and more expanding. Even in the ranks of the Cabinet Ministers, there is disparity and discriminations.

Even after drawing such huge salaries and allowances and enjoying the comforts and luxuries, every week we read in the newspapers that our Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers fly abroad—I do not know for what purpose. We are not aware of what they are doing abroad or what they did abroad. They are spending exceedingly glorious nights in night-clubs and bars abroad. Because they may not have enough comforts here. Let them enjoy it. Often when they come back, they, these Ministers who here are advocating khadi, gram udyog, austerity and economy measures, bring back with them all kinds of luxury foreign-made goods like costly tape-records, cameras and other items cheating our customs officers and tax officers. When they speak of austerity, economy measures, they should be prepared to set an example in it themselves. Otherwise, all this talk is mere hypocrisy and show. So, I join with the feeling of Shri Madhu Limaye and support the motion.

श्री शिव नारायण : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के सदस्यों ने एक बिल दिया था, सारे अपोजीशन की यह राय थी कि संसद सदस्यों की एमिनिटीज में इजाफा किया जाये लेकिन जब वह यहां पर आया तो लोगों ने उसका बड़ा विरोध किया। वही चीज मैं आज भी यहां पर देख रहा हूं। मेरा कहना यह है कि दुनिया के और मुल्कों में जो सरकारें हैं वहां के मुकाबले में हमारे यहां के मेम्बर्स भी और मिनिस्टर्स भी कम इमालुमेन्ट्स और कम सुविधायें ले रहे हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर कोई पोलिटिकल गेम खेलने की आवश्यकता नहीं है। हमने तो यही डिफेन्ड किया था कि इस समय जो एमिनिटीज हैं उन्हीं को कन्टीन्यू रखा जाये और उनमें कोई भी बढ़ोत्तरी न की जाये। मैं अपने फाइनेन्स मिनिस्टर से टोटली एग्री करता हूं। दूसरे कन्ट्रीज के बारे में भी मैं जानता हूं। मैं फारेन कन्ट्रीज से होकर आया हूं।

SHRI K. ANIRUDHAN : What about amenities for the common tax-payer, for the Harijans and other poor people of our country ?

SHRI SHEO NARAIN : I say they are only playing a political game. The amenities given to our Ministers are too low and there should not be a reduction. What they are getting, they should continue to get. So I oppose this demand.

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : उपाध्यक्ष जी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हर एक मन्त्री को अपना काम एफीशिएन्टली चलाने के लिये, जितनी सुविधाओं की आवश्यकता हो वह उसे जरूर मिलें। मैं इस बात को सिद्धान्त रूप में स्वीकार करता हूं क्योंकि कोई भी मन्त्री जो इमानदारी से और मेहनत से काम करना चाहता है जब तक उसको पूरी सुविधायें नहीं दी जायेंगी तब तक वह उस प्रकार से काम नहीं कर सकेगा और फिर वह डिजानेस्ट मीन्स की तरफ जायेगा जोकि उससे भी खराब बात होगी। लेकिन सवाल

[श्री कंवर लाल गुप्त]

यह है कि आया जो सुविधायें आज दी जाती हैं वे ठीक हैं या नहीं। मेरा एस्टीमेट यह है कि एक कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर के ऊपर लगभग 16 या 17 हजार रुपया महीना खर्च होता है, अगर सारी एमिनिटीज उसमें लगा दी जायें तो जबकि मेरे खयाल से उसकी तनख्वाह दो या ढ़ाई हजार रुपया महीना ही होती है। ये और जो लवाजमात हैं ये बहुत ज्यादा हैं, इनमें कमी होनी चाहिये। मैं श्री मधु लिमये जी से इस बात में इत्तफाक करता हूं कि हमारा देश गरीब देश है, यहां पर अमीर और गरीब में जो डिसपैरिटी है उसको कम होना चाहिये। एफ़ीशिएन्टली काम चलाने के लिये तो सुविधायें मिलनी चाहियें लेकिन साथ-साथ यह भी है कि उनकी लिविंग सिम्पुल हो। यह नहीं कि जैसे पहले राजे महाराजे रहते थे, वैसे रहें। राजे, महाराजे तो चले गये लेकिन यह मिनिस्टर्स उन राजे, महाराजाओं की तरफ से रहने लगें यह चीज लोगों को न दिखाई दे। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि सब को मिल करके यह सब सुविधाएं वगैरह हटा देनी चाहिएं और एक ऐडहौक सैलरी मिनिस्टर्स को देनी चाहिए। उनके लिये एक ऐडहाक सैलरी निश्चित कर देनी चाहिए और उस के अलावा और कोई सुविधा उन्हें नहीं मिलनी चाहिए...

एक माननीय सदस्य : जनसंघ के मिनिस्टर्स ने क्या लिया ?

श्री कंवरलाल गुप्त : मेरे पास इस का जवाब देने के लिए टाइम नहीं है। मैं एक बात और कहूंगा। जो सुविधाएं अभी मिलती भी हैं मुझे मालूम है और अगर मंत्री महोदय कहेंगे तो मैं उन मिनिस्टर्स के नाम भी ले दूंगा। नाम मुझे मालूम हैं लेकिन मैं यहां पर उन के नाम लेना नहीं चाहता। लेकिन यह हकीकत है कि कई मंत्रियों के मकानों में दफ्तर होता है और उस का उन को बिजली, पानी का एक खास हद तक खर्चा मिलता है। उन मिनिस्टर्स ने जो वह बिजली, पानी अपने घर में खर्च करते हैं वह दफ्तर की तरफ लग लगा रहता है और जो ऐसा कर रहे हैं उन के नाम भी मैं बतला सकता हूं।

इसी तरीके से जो मंत्री सफर करते हैं तो वह अपने लड़के, लड़की आदि को ले जाते हैं और वहां बाहर से सामान आदि लाते हैं तो उस की ड्यूटी नहीं देते हैं। यह तरीका भी बंद कर देना चाहिए। इन चीजों के ऊपर रोक होनी चाहिए। कोई न कोई एक डिकोरम, कोई एक स्टैन्डर्ड हमारे मंत्रियों को बनाना चाहिए। अलबत्ता हम लोगों को उन को वह तमाम सुविधाएं अवश्य देनी चाहिएं जिससे वह आराम से और एफिशिएंटली काम कर सकें।

आखिर में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जैसे गांधी जी ने कहा था कि यह बड़े-बड़े महल और यह सब चीजें व्यर्थ की शानशौकत खत्म होनी चाहिए अब अगर इस देश ने गांधी जी के रास्ते पर चलना है तो हमें अपना सादा जीवन बिताना चाहिए लेकिन सादे जीवन का यह मतलब नहीं है कि उस में किसी तरह की एफिशिएंसी न रहे। एफिशिएंसी रखते हुए भी हमें अपना सादा जीवन बिताना चाहिए और उस के अनुसार अपने नियम बनाने चाहिएं।

SHRI SRINIBAS MISRA : Although I support the motion I should like to state that there is a sort of principle of parity in Finance with the salary and perquisites of the ministers as compared to the other civil servants. It is kept at a higher level than the civil servants. This principle is followed in France where it is said the civil servents are the most efficient. In our country, with its present finances at the present juncture it is inopportune to have a Deputy Prime Minister without whom we were managing our affairs for the last twenty years since the Constitution came into force ; it had been done as a result of some pulls, checks and balances.

SHRI SHEO NARAIN : It is only the name What objection have you got for it ?

SHRI SRINIBAS MISRA : He has to be given facilities like the Prime Minister. That appears objectionable. Because of your internal party conflicts and for some checks and balances, you want to have a Deputy Prime Minister and want to spend mony on him from the Consolidated Fund of India. That is why I support the motion of Mr. Limaye.

श्री भा० बा० देशमुख (औरंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री मधु लिमये मिनिस्टर्स रैंजीडैंसैज के बारे में जो मोशन लाये हैं मैं उस का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उन्होंने अपने मोशन के सपोर्ट में जो आग्यु मैंट्स दिये वह जानदार नहीं हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स और डिप्टी मिनिस्टर्स आदि के स्टेटस में जरूर फर्क होता है। जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो दर्जा हमारे देश के अन्दर है उस के बराबर हम लोगों का दर्जा नहीं होगा क्योंकि उन की लाइफ की सिक्योरिटी, स्टेटस का सवाल और कंट्री के स्टेटस का सवाल दरपेश होता है और इसलिए फर्क रहना उचित ही है। उन की रैंजीडैंस पर जो खर्चा होता है मैं समझता हूं कि 50 फ़ीसदी से ज्यादा उन के स्टाफ पर और सिक्योरिटी अरेंजमैंट पर खर्च होता है। इसलिए यह कहना कि एक मिनिस्टर की कोठी और प्राइम मिनिस्टर की कोठी पर जो खर्चा होता है वह एक जैसा हो, बुनियादी तौर पर ग़लत है बाकी देश के अन्दर हमारे द्वारा खर्चे में कमी करना वह एक अलग बात है और मैं उस के विरोध में नहीं हूं। लेकिन यहां रूल को अमैंड करने का वह जो मोशन लाये हैं मैं समझता हूं कि उस में कोई जवाजियत नहीं है और मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर की रैंजीडैंसैज में और एमिनिटीज में यकसानियत नहीं हो सकती है।

THE MINISTER OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI JAGANATH RAO) ; Mr, Deputy-Speaker, Sir, my friend Shri Madhu Limaye's motion is a limited one. It reads thus :

> "There shall be no discrimination in the matter of amenities provided in these Rules between any Ministers who are Members of the Cabinet..."

It is a limited one. But in his speech he has traversed a wider compass. He has questioned the very basis of the ministers' salaries and allowances and he has also brought in secialism any socialist pattern of society which we are trying to establish in our country.

This Act was passed in 1952, relating to the Ministers' Salaries and Allowances. There was a proviso in the rule, rule 8, which says that "nothing in the rules shall apply to the residence of the Prime Minister." The office of Deputy Prime Minister has come up in the last one and a half years. Previously, in 1950, when the late Sardar Patel was alive, he was the Deputy Prime Minister when Panditji was the Prime Minister. But then the Act was not there. Because the Act is there we have had to bring in a rule which would also exempt the office of the Deputy Prime Minister. The Prime Minister and the Deputy Prime Minister occupy a unique position. They cannot be compared on the same level as other ministers, because of the responsibilities and the duties they have to discharge. That is why an inherent distinction is also made between the Cabinet Ministers, in the matter of pay, allowances, the type of residence they are entitled to, and Ministers of State and the Deputy Ministers. Therefore, there is bound to be a distinction in any class of society, either in the Government or in any undertaking. But to compare that the expenditure of ministers should be only in the proportion of one to 10, I am afraid, is not a feasible thing, nor can we compare the conditions prevailing in this country with those in Britain or France. Shri Srinibas Misra referred to it and said that the salaries of ministers are much more in France than those of civil servants. But in India, the seniormost ICS officer gets Rs. 4,000 a month.

श्री मधु लिमये : यह उन्होंने नहीं कहा था...

SHRI JAGANATH RAO : He said that. Therefore, there is no question of comparing as to what a civil servant should get and what a minister should get. What is being given is just to see that the minister gets some salary and allowance so that he can make both ends meet honourably. As suggested by them no minister should go out of the way. For the prequlsites that are enjoyed by the ministers, they pay income-tax ; not that they are free : we are not immune from payment of income-tax. We pay income-tax on perquisites

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Not on amenities and facilities.

SHRI JAGANATH RAO : We are paying on amenities and cars and everything. (*Interruption*). Therefore, we should not bring in socialism when we talk of this.

श्री मधु लिमये : मंत्री महोदय कहते हैं कि इस बारे में सोशलिज्म की बात नहीं करनी चाहिए इस का तो मतलब यह हुआ कि जब आप चाहेंगे तो समाजवाद की बात करेंगे और जब नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The scope of the motion is very limited.

SHRI JAGANATH RAO : As I said at the outset, the scope of the motion is very limited. According to the motion there should be no discrimination between Cabinet Ministers and the Prime Minister and the Deputy Prime Minister, but the Members who took part in the debate have questioned the very basis of ministers' salaries and allowances. That is what I am saying.

It is also said that because we are a poor country and because we want to develop a socialistic pattern of society the disparity between the poor and the rich should not be so wide. That is what he said. But the disparities are inherent in our economy. They cannot be removed in a day.

श्री मधु लिमये : आजादी को प्राप्त हुए 21 साल हो गये लेकिन यह असमानताएं बढ़ रही है।

SHRI JAGANATH RAO : The disparity can be removed only by bringing the poor to the level of the rich and not by pulling down the rich. Therefore, there is no basis in the argument of the hon. Member. I oppose the motion. I support my stand and not his motion.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I shall now put Shri Madhu Limaye's motion to the vote. The question is :

> "This House recommends that the following amendment be made in the Ministers' Residences (Amendment) Rules, 1967, published in the Gazette of India by Notification No. G. S. R. 1801, dated the 9th December, 1967 and laid on the Table on the 13th February, 1968, namely :—
>
> for rule 2, the following be substituted namely :—
>
> '2. In the Ministers' Residences Rules, 1962, for rule 8, the following be substituted, namely :
>
> "8. There shall be no discrimination in the matter of amenities provided in these Rules between any Ministers who are Members of the Cabinet." ' "

The motion was negatived.

12.29 hrs.

STATEMENT *RE* : COMMITTEE OF INQUIRY ON C.S.I.R.

THE MINISTER OF EDUCATION (DR. TRIGUNA SEN) : In the course of a discussion in the Rajya Sabha on 28th March, 1968 on the affairs of the Council of Scientific and Industrial Research, I stated that a committee consisting Members of Parliament, scientific experts and other eminent persons will be appointed to enquire into the overall functioning of the Council and suggest ways and means of improving it.

Accordingly, the Prime Minister in terms of Article 57 of the Rules and Re-